प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.06.2024

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड व पर्स बरामद।

दिनांक 22.06.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि हमारे पड़ोस में रहने वाले राजन, सचिन व इनका दोस्त नितिश द्वारा मेरे कमरे का ताला तोड़कर 02 मोबाइल, पर्स, मेरा आधार कार्ड व कुछ रूपये चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात दिनांक 22.06.2024 को ही थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मैनुअल ईनपुट के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.राजन पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 2.नितीश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी एमबीसीसी फ्लैट थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र 19 वर्ष 3.सचिन पुत्र बाबूलाल निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी के 02 मोबाईल फोन, एक पर्स रंग काला जिसमें वादी का आधार कार्ड बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम तीनों आपस में दोस्त है, मौका पाकर कहीं से भी मोबाइल, सामान आदि चोरी कर लेते हैं। राजन व नितिश द्वारा बताया गया कि हम चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुके है। अभी हम तीनों ने मिलकर एक कमरे का ताला तोड़कर 02 मोबाईल फोन, एक पर्स, कुछ रुपये, आधार कार्ड चोरी कर लिया था तथा रुपये हमने खर्च कर लिए थे व चोरी के माल को हम तीनों बेचने के लिए घूम रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.राजन पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 26 वर्ष
2.सचिन पुत्र बाबूलाल निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 36 वर्ष
3. नितीश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी एमबीसीसी फ्लैट थाना खेकडा जनपद बागपत, उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1. अभियुक्त राजन व नितिश के विरूद्ध चोरी की घटनाओं के संबंध में थाना लोनी पर 02 अभियोग व थाना टीला मोड पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. अभियुक्त सचिन के विरूद्ध चोरी की घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी का एक मोबाईल फोन रैड-मी, एक मोबाइल कार्बन कम्पनी, एक पर्स रंग काला जिसमें वादी का आधार कार्ड बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा बुद्ध चौक के पास बाइक सवार व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त व षडयंत्र रचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण /कार्यवाही - दिनांक 04.06.24 को थाना इंदिरापुरम पक वादी युसूफ पुत्र नवाब निवासी बडी मस्जिद के पास अर्थला, साहिबाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि इंदिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत बुद्ध चौक के पास अज्ञात बाइक सवार दो व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई को गोली मारकर घायल करने की घटना कारित की गई। जिसके सम्बन्ध मे थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना का सफल अनावरण हेतु टीमों का गठित कर सीसीटीवी फुटेज,मैनुअल इंटेलिजेंस,सर्विलांस एंव अन्य स्त्रोतों से जानकारी की गई तो गोली मारकर घटना कारित करने वाले युवको/व्यक्तियो की पहचान 1.शिशुपाल उर्फ बाबू उर्फ करन पुत्र नरपत सिंह निवासी नहरवा तहसील बाह थाना खेडा राठौर जनपद आगरा उम्र 23 वर्ष हाल निवासी आश्रम रोड 40 फुटा दीनदयाल पुरी नंदग्राम व 2. बृजेश यादव के रुप मे हुई ।

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा सर्विलांस, मैनुअल इटिंलेजेन्स,मुखबिर खास व सीसीटीवी कैमरे से की गई पहचान के आधार पर उक्त घटना मे वांछित अभियुक्त शिशुपाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। शिशुपाल उपरोक्त से पूछताछ के आधार पर घटना मे अन्य और 04 लोगो की भूमिका प्रकाश मे आयी जिसमे मनोज प्रजापति व यूसूफ की भूमिका षडयंत्रकर्ता के रुप मे तथा बृजेश यादव की भूमिका पीडित को गोली मारने में तथा सुनील की भूमिका पीडित की रेकी करने वाले के रुप मे हुई। मुखबिर की सूचना पर षडयंत्र रचने वाले दोनो अभियुक्तों 1. मनोज उर्फ सुभाष प्रजापति निवासी मकान नम्बर 264 मैन मार्केट बडी मस्जिद के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद तथा 2.यूसूफ (साजिश कर्ता/ मुकदमा उपरोक्त का वादी/पीडित का भाई) पुत्र नवाव अली निवासी मकान नम्बर 138 मैन मार्केट बडी मस्जिद के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को आज दिनांक 23.06.24 को गिरफ्तार किया गया है। घटना मे वांछित अन्य दो अभियुक्तो बृजेश यादव (पीडित को गोली मारने वाला) तथा सुनील (पीडित की रेकी करने वाले) की तलाश की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मनोज प्रजापति अपनी दुकान मे हलवाई का काम कर रहा है तथा अभियुक्त यूसूफ उपरोक्त पीडित रजा खान का सगा भाई एवं घटना के सम्बन्ध मे थाने पर पंजीकृत अभियोग का वादी है। मनोज प्रजापति व यूसूफ उपरोक्त द्वारा ही मिलकर घटना कारित कराने के सम्बन्ध मे साजिश/ष़डयंत्र रचा गया था। क्योकि मनोज अपनी दुकान के पीछे बने रजा खान के मकान को ख़रीदना चाहता है जबकि रजा खान द्वारा अपने मकान को देने से मना कर दिया था। उस मकान के आधा हिस्सा को मनोज द्वारा पहले ही रजा खान के भाई यूसूफ से ख़रीद लिया था। जिसके कारण मनोज व यूसूफ मे दोस्ती ही गई। यूसूफ कोई काम नही करता है मनोज ही उसके खान- पान का खर्चा उठाने के साथ उसे पैसे देता है। मनोज द्वारा अपने लाभ के लिए यूसूफ के साथ मिलकर इस घटना का षडयंत्र रचकर कराई गई थी।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त शिशुपाल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं मनोज प्रजापति उपरोक्त के यहां अर्थला मैन मार्केट बडी मस्जिद पर बालाजी स्वीटस की दुकान पर हलवाई का काम करता हूँ। मेरे मालिक मनोज प्रजापति का रजा खान पुत्र नवाव अली निवासी मैन मार्केट बडी मस्जिद के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से मकान खरीदने को लेकर विवाद चल रहा था। मेरे मालिक मनोज प्रजापति व रजा खान के भाई यूसूफ उपरोक्त द्वारा मुझे एक दिन बुलाकर रजा खान को मारने के लिए पैसे देने की बात कही गई। यह बात मैने अपने एक दोस्त सुनील को बताई जिसके द्वारा अपने एक दोस्त बृजेश को मेरे साथ मिलकर घटना करने के लिए प्लान बनाया गया। दिनांक 04.06.24 को मेरा दोस्त सुनील पहले से ही रजा खान की फैक्ट्री मुगल किचन अर्थला के बाहर जाकर खडा हो गया था तथा मुझे व बृजेश को फैक्ट्री के बाहर चौराहे पर खडा कर दिया था। फैक्ट्री से निकलने पर मेरे दोस्त सुनील द्वारा रजा खान की मोटरसाइकिल हमे दिखाकर पहचान कराई गई तथा फिर सुनील वहां से चला गया था। मै और बृजेश,बृजेश की मोटरसाइकिल पर रजा खान के पीछे पीछे चलते रहे , बुद्ध चौक के पास भीड़-भाड़ कम होने तथा रोड खाली मिलने पर बृजेश ने मौका देखकर रजा खान को गोली मार दी तथा मैने वहां से तेजी से मोटरसाइकिल भगा दी। इस काम के लिए अभी तक 80,000/-रु हमे यूसूफ व मनोज प्रजापति द्वारा दिये जा चुके है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. शिशुपाल उर्फ बाबू उर्फ करन पुत्र नरपत सिंह निवासी नहरवा तहसील बाह थाना खेडा राठौर जनपद आगरा उम्र 23 वर्ष हाल निवासी आश्रम रोड 40 फुटा दीनदयाल पुरी नंदग्राम।
2. मनोज उर्फ सुभाष प्रजापति निवासी मकान नम्बर 264 मैन मार्केट बडी मस्जिद के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
3. यूसूफ पुत्र नवाव अली निवासी मकान नम्बर 138 मैन मार्केट बडी मस्जिद के पास अर्थला थाना साहिबाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

हत्या का प्रयास करने समबन्धी एक अभियोग थाना इंदिरापुरम पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 23.06.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मोटर साइकिल चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त शीलेन्द्र कुमार सिसोदिया पुत्र राजकुमार सिंह ग्राम छिडावली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ उम्र 26 वर्ष को छिजारसी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

शीलेन्द्र कुमार सिसोदिया पुत्र राजकुमार सिंह ग्राम छिडावली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ उम्र 26 वर्ष ।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ।